

19/12/2024

का पत्रा
पत्रा. पेश हुई। वकील वादी उप.। काडी
वकील द्वारा ललबी हेतु व ललबाना
सम्मान पेडा नहीं किये गये। ललबी
हेतु पूर्व में भी अनेक अवसर दिए
जा चुके हैं। शक और अवसर दिए
जाना उचित नहीं। शक: वादी वकील
का हावा आदेश 9 नियम 5 के
तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली कुसल शुमार होकर
नम्बर ले कम की जाकर हाखिल
हो।

